उत्तराखण्ड शासन

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–2

अधिसूचना

05 मई, 2025 ई0

संख्या–327/II(2)/2025-06(40)/2024–राज्यपाल, उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 07 वर्ष 2013) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद देहरादून के अंतर्गत रिस्पना नदी के तटों पर शिखर फॉल से मोथरोवाला संगम तक पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या:941/II(2)/2024–06(40)/2024, दिनांक 07.10.2024 में संलग्न प्रतिषिद्ध/निर्बन्धित क्षेत्रों की अनुसूची 01 और 02 में निर्दिष्ट क्षेत्रों को बाढ़ मैदान परिक्षेत्र घोषित करते हुए, इन क्षेत्रों में निम्नवत् कार्य सम्पादित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं; अर्थात्:–

क्र.सं.	क्षेत्र	अनुमन्य कार्यों का विवरण
1.	प्रतिषिद्ध क्षेत्र	तटबन्ध/बाढ़ प्रबन्धन, खनन, वृक्षारोपण, कृषि, स्नान घाट निर्माण, नदी तटीय विकास, सिंचाई, पेयजल योजना, जलक्रीड़ा, जल परिवहन, सेतु, ऐलिवेटेड रोड कॉरिडोर के लिए नींव एवं उपसंरचना आदि से सम्बन्धित निर्माण/गतिविधियां : "परन्तु राज्य सरकार अधिनियम की मूल भावना का अनुपालन करते हुए, जिससे कि नदी की धारा/प्रवाह में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, जनहित में, प्रकरण विशेष में, उपरोक्त उल्लिखित कार्य के साथ–साथ समान प्रकृति के अतिरिक्त अन्य कार्यों को भी करने की अनुमति राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा प्रदान कर सकेगी।"
2.	निर्बन्धित क्षेत्र	पार्क, खेल का मैदान, मत्स्य पालन, कृषि आदि के सम्बन्ध में निर्माण/गतिविधियॉ और समय–समय पर होने वाले धार्मिक मेलों हेतु अस्थाई/स्थाई निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होंगे कि उक्त गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित होने वाला जल–मल व ठोस अपशिष्ट का पूर्णतः समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करते हुये उक्त का अनापत्ति प्रमाण पत्र/परीक्षण उत्तराखंड पेयजल निगम से कराया जायेगा। इस क्षेत्र में पूर्व से विद्यमान निर्माण, जो जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं, की विद्यमान भू–आच्छादन 35 प्रतिशत, तल क्षेत्र अनुपात 1:5 व भवन की अधिकतम ऊंचाई 7.50 मी0 अथवा दो मंजिल की सीमा तक पुनर्निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगा कि क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध हो। निर्माण अनुमन्य होने की स्थिति में उच्च बाढ़ तल (High Flood Level)से भवन का न्यूनतम प्लिंथ लेवल (Plinth Level) 1.00 मीटर होगा एवं क्षेत्र की सीवरेज व्यवस्था का समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करने के साथ–साथ उत्तराखंड पेयजल निगम से परीक्षण/अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा : "परन्तु राज्य सरकार अधिनियम की मूल भावना का अनुपालन करते हुए, जिससे कि नदी की धारा/प्रवाह में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, जनहित में, प्रकरण विशेष में, उपरोक्त उल्लिखित कार्य के साथ–साथ समान प्रकृति के अतिरिक्त अन्य कार्यों को भी करने की अनुमति राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा प्रदान कर सकेगी।"

आज्ञा से,

डॉ0 आर0 राजेश कुमार,

सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the 'Constitution of India', The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.327/II(2)/2025-06(40)/2024, Dated- May 05, 2025 for general Information.

NOTIFICATION

May 05, 2025

File No- 327/II(2)/2025-06(40)/2024--In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 12 of the Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 2012 (Uttarakhand Act. No 07 of 2013) the Governor is pleased to allow to sanction of following work execution in these area with declaration flood plain zoning to the mentioned area annexed schedule 1 and 2 of Prohibited/ Restricted areas of the previous notification no- 941/II(2)/2025-06(40)/2024, Dated- 07 October, 2024 from Shikhar Fall to the Mothrowala Sangam, banks of Rispana river of district Dehradun, namely:-

S.No.	Area	Details of Permissible Works
1.	Prohibited Area	Construction/activities regarding embankment/ flood management, mining, plantation, agriculture, construction of bathing ghats, river front development, irrigation, drinking water scheme, water sports, water transportation, bridge, foundation and sub-structure for Elevated Road Corridor etc: "Provided that in compliance of the basic spirit of the Act, the State Government may, in particular case, in public interest, by notification in the Official Gazette, grant permission to carry out other works of similar nature along with the above mentioned works, so that the stream/flow of the river shall not be obstructed.
2.	Restricted Area	Construction/activities related to parks, playgrounds, fisheries, agriculture etc. and temprory/permanent constructions for religious fairs held from time to time shall be permitted with the restriction that proper management of sewerage and solid waste generated by the said activities shall be ensured and No Objection Certificate (N.O.C.)/inspection shall be caused to done by the Uttarakhand Peyjal Nigam. Reconstruction of the existing constructions in this area which are in dilapidated condition, with existing land coverage of 35 percent, floor area ratio 1:5 and maximum height of the building is 7.50 meter or upto two floors. shall be permitted with the restriction that sewerage system is available in the area. In case the construction is permitted, the minimum plinth level of the building shall be 1.00 meter from the High Flood Level and the proper management of the sewerage system of the area shall be ensured along with the No Objection Certificate (N.O.C.)/inspection from Uttarakhand Peyjal Nigam will be necessary/required: Provided that in compliance of the basic spirit of the Act, the State Government may, in particular case, in public interest, by notification in the Official Gazette grant permission to carry out other works of similar nature along with the above mentioned works, so that the stream/flow of the river shall not be obstructed.

By Order,

DR. R. RAJESH KUMAR,
Secretary.

टिप्पणी–राजपत्र, दिनांक 17–05–2025, भाग 1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित––]

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 04 सिंचाई/264–10–06–2025–100 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।